न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :— सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:— 64/2016

निर्णय दिनांकः— 22/05/2017

नानच्छी पत्नि हरिराम जाति बैरवा निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री गोपाल लाल चौधरी वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार प्रति0 सं0 1

—:: प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी ::—

—:: निर्णय ::— दिनांक 22.05.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2068 — 2071 के अनुसार खाता संख्या 456 के आराजी ख0न0 2572 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05. बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौरू तहसील जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीनी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीनी के बाडे की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते है। पडौसी खातेदार काश्तकार आये दिन प्रार्थीनी की आराजी की मेर सींव बढाते रहते है तथा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर प्रार्थीनी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात की सीमा दबाने पर आमादा है तथा आये दिन मेर सींव को लेकर पडौसी खातेदार काश्तकारो से विवाद नही हो इसलिये प्रार्थीनी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहती है। तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक भू0अ0/08/2183 दिनांक 21.05.2008 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 26.05.2008 को सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थी मेर एवं सींव को तोडकर प्रार्थीनी की उपरोक्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2016 को मुताबिक सीमाज्ञान के आधार पर बाहजोत नही कर प्रार्थीनी की आराजी पर काश्त कर मेर सींव को तोडकर दखल करने की प्रार्थीनी को धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

लगातार................2

(2)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट चौरू में पेश हुई। बहस अधिवक्ता व पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2068 – 2071 वाके ग्राम चौरू दक्षिण में खाता संख्या 456 में सन्तोष देवी पत्नि जयलाल, नानच्छी देवी पत्नि हरिराम जाति बैरवा सा0देह0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसलिये उक्त आराजी में प्रार्थीया का हिस्सा होने से प्रार्थीया का हक निहित होता है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हम प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 456 के आराजी ख0न0 2572 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05. बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौरू तहसील जिला जयपुर में स्थित आराजी का सीमान्त काश्तकारों की उपस्थिति में तहसीलदार फागी को सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को कैम्प कोर्ट चौरू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर